

D.P. VIPRA LAW COLLEGE, BILASPUR

SESSIONAL -WORK

LL.B IInd Semester

Paper – LAW OF EVIDENCE

SESSIONAL WORK – 2019-20

M.M. : 50

नोट:- सभी पांच प्रश्नों के उत्तर दीजिये सभी प्रश्नों में समान अंक है।

Note:- Answer all the five questions All questions carry equal marks

Q.1- निम्न को समझाइये

- (अ) सुसंगति एवं ग्राह्यता
- (ब) सह अपराधी का साक्ष्य
- (स) रेस जेस्टाई
- (द) धर्मजत्व की अवधारणा
- (ई) सबूत का भार

Explain the following

- (a) Relevancy and Admissibility
- (b) Testimony of Accomplice
- (c) Res-Gestai
- (d) Presumption of legitimacy
- (e) Burden of proof

प्र. 2 साक्ष्य से आप क्या समझते हैं? साक्ष्य के प्रकारों को समझाइये।

What do you understand by the Evidence? Explain the kinds of evidence.

प्र. 3 स्वीकृति से आप का क्या आशय है? स्वीकृति कितने प्रकार की

होती है? स्वीकृति कौन कर सकता है? विस्तार से समझाइये।

What do you mean by Admission? What are the types of Admission? Who can make Admission? Discuss elaborately.

- प्र. 4 संस्वीकृति से आप क्या समझते हैं? संस्वीकृति एवं स्वीकृति में क्या अंतर है? पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृति के संबंध में प्रावधानित नियमों को समझाइये।

What do you understand by the confession? What is the difference between Confession and Admission? Discuss the provisions relating to the confession made before the police officer.

- प्र. 5 वे तथ्य कब सुसंगत होते हैं, जो अन्यथा सुसंगत नहीं होते? उदाहरण सहित विस्तार से समझाइये

When the facts are relevant which are not relevant otherwise? Discuss with illustrations in detail.